

भारत गणराज्य की सरकार और घाना गणराज्य की  
सरकार के बीच सांस्कृतिक करार

- - - - -

भारत गणराज्य की सरकार और घाना गणराज्य की सरकार  
घनिष्ठ सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित तथा विकसित करने की  
सामान्य इच्छा से प्रेरित होकर, और

भारत और घाना के बीच, कला, संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान  
और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शैक्षिक कार्यक्रम सहित, खेल, जन-स्वास्थ्य  
और सूचना तथा शिक्षा के जन-संचार साधनों के क्षेत्रों में हर संभव  
तरीके से सम्बन्धों को प्रोत्साहित तथा विकसित करने की इच्छा से ;

निम्नलिखित करार सम्पन्न करने को सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद - 1

- - - - -

संविदाकारी पक्षकार, कला और संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान और  
प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में शैक्षिक कार्यक्रम सहित, जन-स्वास्थ्य सूचना  
और शिक्षा के जन-संचार साधन, खेल-कूद तथा पत्रकारिता के क्षेत्रों में  
सहयोग को सुदृढ़ बनाएंगे तथा प्रोत्साहित करेंगे ताकि उन दोनों की  
संस्कृति और इन क्षेत्रों के कार्यक्रमों को बेहतर जानकारी को सुलभ बनाया  
जा सके ।

अनुच्छेद - 2

- - - - -

संविदाकारी पक्षकार निम्नलिखित को सुदृढ़ बनाएंगे तथा  
प्रोत्साहित करेंगे :

क) व्याख्यान देने, अध्ययन दौरों और विशेष पाठ्यक्रम

आयोजित करने के लिए प्रोफेसरों और विशेषज्ञों के पारस्परिक दौरे ;

- ब) शैक्षिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, कलात्मक, खेल और पत्रकारिता संघों तथा संगठनों के प्रतिनिधियों के पारस्परिक दौरे तथा कांग्रेसों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों और सेमिनारों में भाग लेना ;
- ग) संस्कृति, विज्ञान, शिक्षा, खेलों, के क्षेत्रों में सामग्री का आदान-प्रदान; पुस्तकों, पत्रिकाओं और अन्य शैक्षिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और खेल प्रकारानों का आदान-प्रदान तथा जहाँ कहीं संभव हो, कला नमूनों का आदान-प्रदान ; और
- घ) एक देश के पुरातत्वविदों को दूसरे देश का भ्रमण करने के लिए पारस्परिक सुविधाएँ ताकि वे बुदाई कार्य और पर्यवेक्षण तथा पुरातत्वीय उपलब्धियों के प्रदर्शन, तथा प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए और नमूनों तथा ढलवाँ मूर्तियों के निर्माण के लिए भी अनुभव प्राप्त कर सकें ।

अनुच्छेद - 3

-----

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार अपनी उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थाओं में अध्ययन करने वाले दूसरे देश के छात्रों और वैज्ञानिक कार्मिकों को सुविधाएँ तथा छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने का प्रयास करेगा ।

अनुच्छेद - 4

-----

इस करार के अन्तर्गत एक दूसरे के देश में प्रदत्त शैक्षिक

प्रमाण-पत्रों और डिग्रियों के मूल्यांकन तथा इनकी मान्यता के लिए एक संलेख पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

अनुच्छेद - 5

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार रेडियो, दूरदर्शन और प्रेस के माध्यम से दूसरे देश के जीवन और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षकार उपयुक्त सामग्री और कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करेंगे ।

अनुच्छेद - 6

संविदाकारी पक्षकार निम्नलिखित को सुकर बनाएंगे तथा प्रीत्साहित करेंगे :

- क) कलाकारों और नृत्य तथा संगीत मंडलियों का आदान-प्रदान ;
- ख) कला तथा अन्य प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान ;
- ग) फिल्मों, वृत्तचित्रों, रेडियो और दूरदर्शन कार्यक्रम रिकार्डिंग तथा डिस्क तथा टेप रिकार्डों का आदान-प्रदान ; और
- घ) चलचित्रकला के क्षेत्र में विशेषज्ञों का आदान-प्रदान तथा एक दूसरे के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लेना ।

अनुच्छेद - 7

संविदाकारी पक्षकार दोनों देशों के बीच खेल टीमों के दौरों को

प्रोत्साहित करेंगे और लागू राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अनुसार अपने-अपने क्षेत्रों में उनके प्रवास और गतिविधियों को सुकर बनाएंगे ।

अनुच्छेद - 8  
-----

संविदाकारी पक्षकार, जहाँ तक संभव होगा, यह सुनिश्चित करेंगे कि अपनी-अपनी शैक्षिक संस्थाओं के लिए निर्धारित पाठ्य-पुस्तकों, विशेषकर इतिहास और भूगोल की पाठ्य-पुस्तकों में एक दूसरे के देश के बारे में कोई गलत अथवा मिथ्यावर्णन न दिया गया हो ।

अनुच्छेद - 9  
-----

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार अपने देश में, दूसरे पक्षकार द्वारा अथवा संयुक्त रूप से संविदाकारी पक्षकारों द्वारा, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक कार्यों में लगे सांस्कृतिक संस्थानों तथा मैत्री संघों की स्थापना का स्वागत करेगा, इस सम्बन्ध में लागू कानूनों और विनियमों तथा सामान्य नीति के अनुसार, यह सहमति हो गई है कि इस अनुच्छेद के अन्तर्गत कोई संस्था स्थापित करने से पहले संबंधित सरकार की पूर्व अनुमति ले ली जाएगी ।

अनुच्छेद -10  
-----

वर्तमान करार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जब भी आवश्यक समझा जाए, एक संयुक्त समिति स्थापित की जाएगी जिसमें दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों की संख्या बराबर होगी, जिसकी बैठक, दोनों पक्षकारों में से एक के अनुरोध पर, संविदाकारी पक्षकारों के बीच हुई सहमति के अनुसार, बारी-बारी से नई दिल्ली और आकरा में होगी ।

संयुक्त समिति, वर्तमान करार के कार्यकरण की आवधिक रूप

से समीक्षा करने, इस करार में परिकल्पित क्षेत्रों में दोनों में से एक पक्षकार की रूचि के किसी मद को तैयार करने तथा सिफारिश करने के लिए सम्बन्धित सरकार को सिफारिश करने के लिए, जिम्मेदार होगी।

अनुच्छेद - 11  
-----

वर्तमान करार अनुसमर्थन-लिखितों के विनियम की तारीख से लागू होगा। यह पांच वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा और इसके बाद आगे की प्रत्येक पांच वर्ष की अवधियाँ के लिए नवीकृत किया जाएगा जब तक कि दोनों में से एक पक्षकार वर्तमान करार को अवसित करने के अपने इरादे की छह महीने की पूर्व सूचना दूसरे पक्षकार को न दे।

जिसके साक्ष्य में संविदाकारी पक्षकारों के विधिकृत प्राधिकृत प्रतिनिधियों ने इस पर अपनी-अपनी मुहरें लगाई हैं।

नई दिल्ली में अक्टूबर, 1981 के 12 वें दिन हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में हस्ताक्षर किए गये, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक होंगे किन्तु संदेह की दशा में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

भारत गणराज्य की सरकार  
की ओर से

प्रणव मुखर्जी

(प्रणव कुमार मुखर्जी)  
वाणिज्य और इस्पात तथा  
साधन मंत्री

घाना गणराज्य की सरकार  
की ओर से

Isaac Chirebuah

(आइ०के० चिनेबुवा)  
विदेश मंत्री

CULTURAL AGREEMENT BETWEEN THE  
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF  
INDIA AND THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF GHANA

---

The Government of the Republic of India and  
the Government of the Republic of Ghana

INSPIRED BY a common desire to establish and  
develop closer cultural relations, and

DESIROUS OF promoting and developing in every  
possible manner the relations and understanding between  
India and Ghana in the realms of art, culture, education,  
including academic activity in the fields of science  
and technology, sports, public health and mass media of  
information and education;

HAVE AGREED to conclude the following Agreement:

ARTICLE 1

The Contracting Parties shall facilitate and  
encourage co-operation in the fields of art and culture,  
education, including academic activity in the fields of  
science and technology, public health, mass media of  
information and education, sports and games and  
journalism in order to contribute towards a better  
knowledge of their respective cultures and activities  
in these fields.

ARTICLE 2

The Contracting Parties shall encourage and facilitate:

- a) reciprocal visits of professors and experts for delivering lectures, study tours and conducting special courses;
- b) reciprocal visits of representatives of educational, literary, scientific, technical, artistic, sports and journalists' associations and organisations, and participation in congresses, conferences, symposia and seminars;
- c) exchange of materials in the fields of culture, science, education, sports; exchange of books, periodicals and other educational, scientific, technical, cultural and sports publications, and wherever possible, exchange of art specimens; and
- d) reciprocal facilities in regard to visits by archaeologists of the one country to the other to enable them to gain experience of excavation as well as preservation and display of archaeological finds, and for training purposes, and also in regard to exchange of specimens

ARTICLE 3

Each Contracting Party shall endeavour to provide facilities and scholarships to students and scientific personnel of the other country seeking to study in its institutions of higher education and research.

ARTICLE 4

Under this agreement, a protocol shall be signed for the evaluation and recognition of educational certificates and degrees awarded in each other's country.

ARTICLE 5

Each Contracting Party shall endeavour to present various aspects of the life and culture of the other Party through the media of radio, television and press. With this end in view, the two parties shall exchange suitable materials and programmes.

ARTICLE 6

The Contracting Parties shall facilitate and promote :

- a) exchange of artists, and dance and music ensembles;
- b) exchange of art and other exhibitions;



- c) exchange of films, documentaries, radio and television programme recordings and recordings on discs and tapes; and
- d) exchange of experts in the field of cinematography and participation in each other's International Film Festivals.

ARTICLE 7

The Contracting Parties shall encourage visits of sports teams between the two countries and shall facilitate, subject to the nation's laws and regulations in force, their stay and movements in their respective territories.

ARTICLE 8

The Contracting Parties shall, to the extent possible, ensure that text-books prescribed for their educational institutions, particularly those relating to History and Geography, do not contain any error or misrepresentation of facts about each other's country.

ARTICLE 9

Each Contracting Party shall welcome the establishment in its territory of cultural institutes or friendship associations devoted to educational and

cultural pursuits by the other Contracting Party, or the Contracting Parties jointly, in accordance with the prevailing laws, regulations and general policy in this regard; it being understood that prior clearance of the Government concerned would be obtained before any institution is established under this Article.

ARTICLE 10

For the fulfilment of the objectives of the present Agreement a Joint Committee may be established by the Contracting Parties, when considered necessary, consisting of an equal number of representatives of the two Governments, which shall meet as agreed upon between the Contracting Parties at the request of either of the Parties alternately in New Delhi and Accra.

The Joint Committee will be responsible for reviewing periodically the working of the present Agreement, advising the Government concerned in formulating and recommending any items of interest to either Party in the fields envisaged in the present Agreement.

ARTICLE 11

The present Agreement shall come into force on the date of the exchange of the Instruments of

Ratification. It shall remain in force for a period of five years and shall be renewed thereafter for periods of five years each until either Contracting Party gives to the other six months prior notice of its intention to terminate the present Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the duly authorised representatives of the Contracting Parties have herein affixed their seals.

Done and signed in New Delhi on the 12th day of October 1981 in duplicate in Hindi and English languages all the texts being equally authentic except that in case of doubt the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF INDIA

*Pranab Kumar Mukherjee*

(PRANAB KUMAR MUKHERJEE)  
MINISTER OF COMMERCE  
AND STEEL AND MINES

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF GHANA

*Isaack Chirebuah*

(I.K. CHIREBUAH)  
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS